अनुसूची – पांच (क)

(250/– के नानज्युडिशियल स्टाम्प – पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

(छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य– शासन के अधीन सेवा करने हेतु बंध पत्र (बाण्ड) का प्रारूप)

1. मैं.......................................पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.. निवासी.................................... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ । मेरा चयन एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है ।

2. यह कि मुझे वर्ष 2026 में आयोजित "नीट –2026" प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में MBBS सीट आवंटित की गई है ।

* RULE- 503/30/2025/MED

3. यह कि वर्ष 2026 की काउंसलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक.............*.................रायपुर दिनांक 16 जुलाई 2025 छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर भली भाँति समझ लिया है। उपरोक्त अधिसूचना के कंडिका 10(1) जिसमें राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं, जिसे मैंने भली–भाँति समझ लिया है एवं मैं उक्त नियम की सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ ।

4. मैं एतद् द्वारा बन्ध पत्र निम्न शर्तो पर निष्पादित करता/करती हूँ, कि मैं एमबीबीएस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त राज्य शासन के अधीन एक वर्ष की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूंगा/करूंगी।

5. यदि अनिवार्य शासकीय सेवा अवधि के दौरान मेरा चयन चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु हो जाता है तो अनिवार्य शासकीय सेवा की शेष अवधि मेरे द्वारा चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने पश्चात् किया जायेगा।

6. यह कि इस बन्ध पत्र का उल्लंघन होने की दशा में शासन को अधिकार होगा कि मेरी चल व अचल संपत्ति से अथवा इस बन्ध पत्र में मेरे प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता श्री................................ पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री...निवासी...............................की चल व अचल संपत्ति (संपत्ति का सम्पूर्ण# विवरण) से इस बन्ध पत्र की राशि रूपये ....शब्दों में (रूपए..............*.................... ....) कि वसूली व साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जावेगी।

संपत्ति का पूरा विवरण लिखें, यदि मकान है तो मकान का पता, खसरा नं., साइज़ का अनुमानित मूल्य, यदि जमीन/भूमि है तो खसरा एवं रकबा नं. एवं अनुमानित मूल्य

7. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।

* आरक्षित श्रेणी अभ्यर्थी हेतु (ST, SC, OBC, EWS) - 20 लाख
अनारक्षित श्रेणी अभ्यर्थी हेतु (UR) - 25 लाख

8. अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् मैं संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा/करूंगी जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जावेगी व छ.ग. राज्य आयुर्विज्ञान परिषद में स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जावेगा ।

9. एमबीबीएस पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्ति के छः माह के भीतर यदि आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नियुक्ति आदेश जारी नहीं करते है तो यह बन्धपत्र स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।

10. यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

गवाह : –

हस्ताक्षर

आवेदक/निष्पादनकर्ता

1................................हस्ताक्षर , नाम , पता

2................................ हस्ताक्षर , नाम , पता

आवेदक का फोटो	प्रतिभूतिकर्ता का फोटो	गवाह नं. 1 का फोटो	गवाह नं. 2 का फोटो
आवेदक	प्रतिभूतिकर्ता	गवाह 01	गवाह 02

{आवेदक, प्रतिभूतिकर्ता एवं गवाह, चारो अलग-अलग व्यक्ति होने चाहिए}

प्रतिभूतिकर्ता

मैं................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...निवासी .... उपरोक्तानुसार बन्ध पत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्ध पत्र के उल्लंघन की दशा में बन्ध पत्र में उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

अनुसूची–पांच (ख)

(250/– के नानज्युडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

मेरा पुत्र/पुत्री ....आत्मज/आत्मजा श्री.. निवासी.................................... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस) में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थी हूं।

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक RULE-503/30/2025/MED .... दिनांक 16 जुलाई 2025 "छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा, स्नातक प्रवेश नियम – 2025" एवं "निर्देशिका" में निहित प्रावधानों को भली–भांति पढ़कर समझ लिया है।
2. मेरा पुत्र/पुत्री राज्य कोटे की सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र/छात्रा है।
3. मैं एतद् द्वारा यह शपथ पत्र निम्न शर्तो पर निष्पादित करता हूं कि :–
   - (क) मेरा पुत्र/पुत्री स्नातक पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूर्ण करने के पश्चात्, शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार एक (01) वर्ष की कालावधि तक चिकित्सा अधिकारी के रूप में शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र अथवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में जूनियर रजिस्ट्रार/प्रदर्शक/जूनियर रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा/करेगी।
   - (ख) मेरा पुत्र/पुत्री के द्वारा उपरोक्त अवधि तक शासकीय सेवा करने का प्रमाण पत्र जिसे आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें के द्वारा प्रदान किया जायेगा के प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उसे स्नातक की उपाधि की प्राप्ति हेतु संस्था प्रमुख द्वारा अनापत्ति प्रदान की जायेगी।
   - (ग) मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा शासकीय सेवापूर्ण न करने की दशा में मेरे पुत्र/पुत्री की स्नातक उपाधि व मूल अभिलेख राजसात किये जा सकेंगे।
   - (घ) यदि मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा तृतीय चरण की काउंसिलिंग की प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त शिक्षण सत्र 2026-27 हेतु एमबीबीएस पाठ्यक्रम की प्रवेशित सीट का परित्याग किया जाता है तो, मेरे द्वारा अनारक्षित श्रेणी हेतु रू. 25 लाख अथवा आरक्षित श्रेणी हेतु रू. 20 लाख तथा छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण राशि (यदि कोई हो तो) शासन को देय होगी।

पता ....

फोन नं. ....

अभिभावक का फोटो	प्रतिभूतिकर्ता का फोटो
अभिभावक	प्रतिभूतिकर्ता

हस्ताक्षर अभिभावक

{ अभिभावक एवं प्रतिभूतिकर्ता अलग - अलग व्यक्ति होना चाहिए }

प्रतिभूतिकर्ता

मैं.................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..निवासी .... उपरोक्तानुसार शपथ पत्र के उल्लंघन की दशा में शपथ पत्र में उल्लेखित राशि मेरे द्वारा प्रदाय की जायेगी।

गवाह के हस्ताक्षर नाम एवं पता सहित : –

1...............................

2...............................

गवाह नं. 01 का फोटो	गवाह नं. 02 का फोटो
1. गवाह	2. गवाह

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

नाम :.......................................

पता :.......................................

....

{ गवाह, अभिभावक एवं प्रतिभूतिकर्ता के अलावा अन्य व्यक्ति होना चाहिए }

अनुसूची–पांच (ग)

(सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु)

(250/– के नानज्युडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

छत्तीसगढ़ के शासकीय एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा/भौतिक चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

मेरा पुत्र/पुत्री ....आत्मज/आत्मजा श्री... निवासी.................................... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस/बीपीटी) में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थी हूं।

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक RULE-503/30/2025/MED .... दिनांक 16 जुलाई 2025 "छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा, स्नातक प्रवेश नियम – 2025" एवं "निर्देशिका" में निहित प्रावधानों को भली–भांति पढ़कर समझ लिया है।

2. मेरा पुत्र/पुत्री राज्य कोटे की सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र/छात्रा है।

3. मैं एतद् द्वारा यह शपथ पत्र निम्न शर्तो पर निष्पादित करता हूं कि :–

यदि मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा तृतीय चरण की काउंसिलिंग की प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त शिक्षण सत्र .... हेतु एमबीबीएस/बीडीएस/बीपीटी पाठ्यक्रम की प्रवेशित सीट का परित्याग किया जाता है तो, मेरे द्वारा अनारक्षित श्रेणी /आरक्षित श्रेणी हेतु नियम 11 में उल्लेखित सम्पूर्ण राशि शासन / निजी महाविद्यालय को देय होगी।

पता ....

फोन नं. ....

अभिभावक का फोटो	प्रतिभूतिकर्ता का फोटो
अभिभावक	प्रतिभूतिकर्ता

हस्ताक्षर अभिभावक

{अभिभावक एवं प्रतिभूतिकर्ता अलग -अलग व्यक्ति होने चाहिए}

प्रतिभूतिकर्ता

मैं.................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..निवासी .... उपरोक्तानुसार शपथ पत्र के उल्लंघन की दशा में शपथ पत्र में उल्लेखित राशि मेरे द्वारा प्रदाय की जायेगी।

गवाह : –

1.................................

2.................................

गवाह नं. 01 का फोटो	गवाह नं. 02 का फोटो
1. गवाह	2. गवाह

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

नाम :...

पता :...

....

{गवाह, अभिभावक एवं प्रतिभूतिकर्ता के अलावा अन्य व्यक्ति होने चाहिए}

(50/– के नानज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

शपथ–पत्र

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ....

निवासी .... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) में आबंटित अभ्यर्थी हूँ। मेरा चयन एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम हेतु अनारक्षित/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है।

मेरे द्वारा स्क्रुटनी में प्रस्तुत किये मूल निवासी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य सभी दस्तावेज मेरी जानकारी अनुसार सत्य और सही है यदि इनमें कोई दस्तावेज असत्य/झूठे पाये जाते है तो मेरी जिम्मेदारी होगी तथा मेरे द्वारा कोई भी सुसंगत तथ्यों को छिपाया नहीं गया है।

उपरोक्त मे यदि कोई न्यूनतः या झूठे प्रमाण पत्र पाये जाते है तो मेरा प्रवेश निरस्त सहित आवश्यक अपराधिक एवं कानूनी कार्यवाही करने हेतु कार्यालय स्वतंत्र होगा तथा मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

गवाह :–

1. .... हस्ताक्षर, नाम, पता — हस्ताक्षर
2. .... हस्ताक्षर, नाम, पता — आवेदक/निष्पादनकर्ता

गवाह नं. 1 का फोटो	गवाह नं. 2 का फोटो	आवेदक का फोटो

नोट : एक गवाह आवेदक पालक/माता/पिता में से कोई एक होना आवश्यक है।

अनुमोदित

F:\Student Section\Year 2015\PMT & Pre PG\PMT\PMT 2017\Letter NEET - 2017.docx

Scanned by CamScanner

Rs. 20 Stamp

अनुलग्नक–I

छात्र का आश्वासन

1. मैं .... (प्रवेश/पंजकरण/नामांकन संख्या के साथ ही छात्र का पूरा नाम) सुपुत्र/सुपुत्री/............ श्री/श्रीमती/सुश्री .... जिसे .... में (संस्थान का नाम) प्रवेश दिया गया है, उसने उच्च शैक्षिक संस्थानों, में 2009, के जोखिम पर नियंत्रण संबंधी यूजीसी विनियमों की प्रति प्राप्त की है (जो इसके आगे से विनियम कहलायेंगे) तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर पूरी तरह से समझ लिया है।

2. मैंने, विशेष रूप से इन विनियमों की धारा 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा मुझे इस बात का संज्ञान है कि रैगिंग में कौन सी बातें सम्मिलिति हैं।

3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 को भी विशेष रूप से पढ़ा है तथा मैं उस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई के विषय में पूरी तरह से सचेत हूँ जो मेरे विरूद्ध लागू की जा सकती है यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देने के लिए दोषी पाया जाता हूँ अथवा रैगिंग को सक्रिय अथवा छिपे तौर से प्रोत्साहित करने अथवा इस विषय में षड्यन्त्र करने का दोषी पाया जाता हूँ।

4. मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि........................

   (क) मैं ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होऊँगा/होऊँगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना जा सकता है।

   (ख) मैं ऐसे किसी आचरण अथवा अनाचरण के काम में न तो भाग लूँगा/लूँगी न ही उसके षड्यन्त्र में अथवा उसके प्रोत्साहन में शामिल होऊँगा जिस कृत्य को इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।

5. मैं, एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि मैं दोषी पाया जाता हूँ तो इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार इनसे बिना पूर्वाग्रह के मैं दण्ड के लिए तथा ऐसी दण्डात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपराधिक मामले के प्रति किसी चालू दण्डात्मक अथवा अन्य किसी कानून के अनुसार मेरे विरूद्ध की जा सकती है।

6. मैं घोषित करता/करती हूँ कि इस देश के किसी भी संस्थान ने, मुझे रैगिंग के षड्यन्त्र में अथवा इसे प्रोत्साहित करने, इसको भड़काने में अथवा इसमें भाग लेने के मामले में दोषी पाने के लिए ना तो निष्कासित किया है ना ही प्रवेश से बाधित किया है–और मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि की गई यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे पूरी जानकारी है कि मेरा प्रवेश निरस्त करने का उत्तरदायित्व मुझ पर होगा।

घोषित किया गया .... दिन........................ माह .... वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई और ना ही अयर्थाथ कही गई है।

सत्यापित (स्थान) .... दिन .... माह .... वर्ष........................

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नामः

Rs. 20 Stamp

अनुलग्नक–II

माता–पिता/अभिभावक द्वारा दी गई प्रतिबद्धता

1. श्री/श्रीमती/सुश्री .... (माता–पिता/अभिभावक का पूरा नाम छात्र का पूरा नाम, उसके प्रवेश/पंजीकरण/नामांकन संख्या सहित) के पिता–माता/अभिभावक, जिसके छात्र को .... (संस्थान का नाम) में प्रवेश दिया गया है, इसने उच्च शैक्षिक संस्थानों, 2009, में रैगिंग के जोखिम पर नियन्त्रण लगाने से संबद्ध यूजीसी विनियमों (जो आगे से विनियम के नाम से कहलायेंगे) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को पूरी तरह समझ लिया है।

2. मैंने, विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इस बात की जानकारी है कि रैगिंग में क्या बात शामिल है।

3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 का भी विशेष रूप से अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की अथवा रैगिंग में सहायक होने की सक्रिय अथवा छिपे तौर से दोषी पाया/पाई जाती है अथवा रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयन्त्र का एक हिस्सा होता/होती है तो उस स्थिति में उसके विरूद्ध जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई का वह भागीदार होगा/होगी, वह मेरे संज्ञान में है।

4. मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि..........................

(क) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग माना गया है।

(ख) मेरी संतान जान बूझकर अथवा भूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी ना ही उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।

5. एतद्द्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोषी पाई जाती/पाया जाता है तो वह इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार दण्ड की भागीदार होगा/होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा–तथा जो दण्ड मेरी संतान के विरूद्ध किसी भी दण्ड संबंधी कानून के अथवा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार होगा।

6. एतद्द्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान इस देश में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषी अथवा उसमें सहायक होने कि अथवा षडयन्त्र का एक हिस्से के रूप से दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निष्कासित नहीं हुई है/हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

घोषित किया गया .... दिन .... माह .... वर्ष ....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नामः

पताः

दूरभाष सं./मो. नं.:

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान में सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई है और ना ही अयर्थाथ कही गई है।

सत्यापित (स्थान) .... दिन .... माह .... वर्ष ....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नामः

(50/– के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

माता/पिता/अभिभावक द्वारा दी गई प्रतिबद्धता

मेरा पुत्र/पुत्री .... माता/पिता/अभिभावक श्री............................ निवासी.................................... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में स्नातक पाठ्यक्रम (एम.बी.बी.एस.) में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थी है।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नई दिल्ली के नियमावली के Part III Section 4, स्नातक चिकित्सा शिक्षा नियमावली (संशोधन) 2019 सं.भा.आ.प..34(41)/2019–मेड./161726 के खण्ड 11.1 अनुसारः–

Eligibility to appear for Professional examination

(a) **Attendance**

1. "Attendance requirements are 75% in theory and 80% in practical/clinical for eligibility to appear for the examinations in that subject. In subjects that are taught in more than one phase- the learner must have 75% attendance in theory and 80% in practical in each phase of instruction in that subject"
2. "If an examination comprises more that one subject (for e.g., General Surgery and allied branches), the candidate must have 75% attendance in each subject and 80% attendance in each clinical posting."
3. "Learner who do not have at least 75% attendance in the electives will not be eligible for the Third Professional- Part II Examination."

(b) **Internal Assessment-** "Learner must secure at least 50% marks of the total marks (combined in theory and practical/clinical; not less than 40% marks in theory and practical separately) assigned for internal assessment in a particular subject in order to eligible for apearing at the final University examination of that subject. Internal assessment marks will reflect as separate head of passing at the summative examination.

And

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नई दिल्ली के Revised Competency Based Medical Education Curriculum (CBME) Guidelines 2024 की कंडिका 7 (I) (a) के अनुसार :–

''There shall be a minimum of 75 % attendance in AETCOM and minimum of 80% attendance in Family Adoption Programme. Each students shall adopt minimum 3 families /household and preferably five families. The details shall be as per Family Adoption Program guidelines.''

अथवा

व्यावसायिक परीक्षा में बैठने की पात्रता

(क) उपस्थितिः

1. ''उपस्थिति की शर्तें, उस विषय में परीक्षा में बैठने की पात्रता के लिए सिद्धांत में 75 प्रतिशत और प्रयोगात्मक/नैदानिक में 80 प्रतिशत है। उन विषयों में, जो एक से अधिक चरणों में पढ़ाए जाते हैं, शिक्षार्थी की, उस विषय में शिक्षा के प्रत्येक चरण में सिद्धांत में 75 प्रतिशत और प्रयोगात्मक में 80 प्रतिशत उपस्थिति होनी चाहिए।''
2. ''यदि किसी परीक्षा में एक से अधिक विषय हैं (अर्थात जनरल सर्जरी और संबद्ध शाखाएं) तो अभ्यर्थी को, प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति और प्रत्येक नैदानिक तैनाती में 80 प्रतिशत उपस्थिति होनी चाहिए।''
3. ''ऐसे शिक्षार्थी, जिनकी वैकल्पिक में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं है, तृतीय व्यावसायिक भाग–2 परीक्षा के लिए पात्र नहीं होगें।''

(ख) **आंतरिक मूल्यांकण** – ''उस विषय की विश्वविद्यालय की अंतिम परीक्षा में बैठने का पात्र होने की दृष्टि से, शिक्षार्थी को, किसी विषय विशेष में आंतरिक मूल्यांकण के लिए निर्धारित कुल अंको (सिद्धांत और प्रयोगात्मक/नैदानिक में संयुक्त रूप से : सिद्धांत और प्रयोगात्मक में अलग–अलग कम से कम 40 प्रतिशत अंक) के कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। आंतरिक मूल्यांकण के अंत, अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने के अलग शीर्ष के रूप में दर्शाए जाएंगे।

तथा

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नई दिल्ली के Revised Competency Based Medical Education Curriculum (CBME) Guidelines 2024 की कंडिका 7 (I) (a) के अनुसार :–

'There shall be a minimum of 75 % attendance in AETCOM and minimum of 80% attendance in Family Adoption Programme. Each students shall adopt minimum 3 families /household and preferably five families. The details shall be as per Family Adoption Program guidelines.

सत्यापन

मैं .... जो अपने पुत्र/पुत्री .... का अभिभावक हूँ, भलीभांति अवगत हूँ कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नई दिल्ली के उपरोक्त नियमानुसार **Attendance** एवं **Internal Assessment Marks** कम पाये जाने पर विश्वविद्यालयीन परीक्षा में शामिल होने से वंचित किए जाने का प्रावधान है तथा यदि मेरा पुत्र/पुत्री का **Attendance** एवं **Internal Assessment Marks** कम पाये जाने पर विश्वविद्यालयीन परीक्षा में शामिल होने से वंचित होता है तो मेरे अथवा मेरे पुत्र/पुत्री द्वारा महाविद्यालय में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जावेगा।

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की अधिसूचना क्र./63/कुलसचिव कक्ष/डी.यू.एच.एस./2024 दिनांक 08/05/2024 के Note (3) अनुसार 'The Internal assessment marks and attendance till that date must be uploaded to college website so that it is available to both students and their parents' के तहत चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव की वेबसाईट www.abvmgmcrajnandgaon.ac.in का नियमित अवलोकन कर मेरे पुत्र/पुत्री के Internal assessment marks and attendance की जानकारी लेता रहूंगा साथ ही समय–समय पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अवलोकन कर मेरे पुत्र/पुत्री द्वारा पालन किया जावेगा।

हस्ताक्षर

माता/पिता/अभिभावक का फोटो	अभ्यर्थी का फोटो

माता/पिता/अभिभावक

नाम–

पता–

(50/– के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

छात्र द्वारा दी गई प्रतिबद्धता

मैं .... माता/पिता/अभिभावक श्री.. निवासी.................................... छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव में स्नातक पाठ्यक्रम (एम.बी.बी.एस.) में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थी हूं।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नई दिल्ली के नियमावली के Part III Section 4, स्नातक चिकित्सा शिक्षा नियमावली (संशोधन) 2019 सं.भा.आ.प..34(41)/2019–मेड./161726 के खण्ड 11.1 अनुसारः–

Eligibility to appear for Professional examination

(a) **Attendance**

1. "Attendance requirements are 75% in theory and 80% in practical/clinical for eligibility to appear for the examinations in that subject. In subjects that are taught in more than one phase- the learner must have 75% attendance in theory and 80% in practical in each phase of instruction in that subject"
2. "If an examination comprises more that one subject (for e.g., General Surgery and allied branches), the candidate must have 75% attendance in each subject and 80% attendance in each clinical posting."
3. "Learner who do not have at least 75% attendance in the electives will not be eligible for the Third Professional- Part II Examination."

(b) **Internal Assessment-** "Learner must secure at least 50% marks of the total marks (combined in theory and practical/clinical; not less than 40% marks in theory and practical separately) assigned for internal assessment in a particular subject in order to eligible for apearing at the final University examination of that subject. Internal assessment marks will reflect as separate head of passing at the summative examination.

And

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नई दिल्ली के Revised Competency Based Medical Education Curriculum (CBME) Guidelines 2024 की कंडिका 7 (I) (a) के अनुसार :–

'There shall be a minimum of 75 % attendance in AETCOM and minimum of 80% attendance in Family Adoption Programme. Each students shall adopt minimum 3 families /household and preferably five families. The details shall be as per Family Adoption Program guidelines.

अथवा

व्यावसायिक परीक्षा में बैठने की पात्रता

(क) उपस्थितिः

1. ''उपस्थिति की शर्तें, उस विषय में परीक्षा में बैठने की पात्रता के लिए सिद्वांत में 75 प्रतिशत और प्रयोगात्मक/नैदानिक में 80 प्रतिशत है। उन विषयों में, जो एक से अधिक चरणों में पढ़ाए जाते हैं, शिक्षार्थी की, उस विषय में शिक्षा के प्रत्येक चरण में सिद्वांत में 75 प्रतिशत और प्रयोगात्मक में 80 प्रतिशत उपस्थिति होनी चाहिए।''
2. ''यदि किसी परीक्षा में एक से अधिक विषय हैं (अर्थात जनरल सर्जरी और संबद्ध शाखाएं) तो अभ्यर्थी को, प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति और प्रत्येक नैदानिक तैनाती में 80 प्रतिशत उपस्थिति होनी चाहिए।''
3. ''ऐसे शिक्षार्थी, जिनकी वैकल्पिक में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं है, तृतीय व्यावसायिक भाग–2 परीक्षा के लिए पात्र नहीं होगें।''

(ख) **आंतरिक मूल्यांकण** – ''उस विषय की विश्वविद्यालय की अंतिम परीक्षा में बैठने का पात्र होने की दृष्टि से, शिक्षार्थी को, किसी विषय विशेष में आंतरिक मूल्यांकण के लिए निर्धारित कुल अंको (सिद्धांत और प्रयोगात्मक/नैदानिक में संयुक्त रूप से : सिद्धांत और प्रयोगात्मक में अलग–अलग कम से कम 40 प्रतिशत अंक) के कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। आंतरिक मूल्यांकण के अंत, अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने के अलग शीर्ष के रूप में दर्शाए जाएंगे।

तथा

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नई दिल्ली के Revised Competency Based Medical Education Curriculum (CBME) Guidelines 2024 की कंडिका 7 (I) (a) के अनुसार :–

'There shall be a minimum of 75 % attendance in AETCOM and minimum of 80% attendance in Family Adoption Programme. Each students shall adopt minimum 3 families /household and preferably five families. The details shall be as per Family Adoption Program guidelines.

<u>सत्यापन</u>

मैं .... माता/पिता/अभिभावक श्री.. भलीभांति अवगत हूँ कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नई दिल्ली के उपरोक्त नियमानुसार **Attendance** एवं **Internal Assessment Marks** कम पाये जाने पर विश्वविद्यालयीन परीक्षा में शामिल होने से वंचित किए जाने का प्रावधान है तथा यदि मेरे **Attendance** एवं **Internal Assessment Marks** कम पाये जाने पर मुझे विश्वविद्यालयीन परीक्षा में शामिल होने से वंचित किया जाता है तो मेरे अथवा मेरे माता/पिता/अभिभावक द्वारा महाविद्यालय में किसी प्रकार का अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया जावेगा।

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की अधिसूचना क्र./63/कुलसचिव कक्ष/डी.यू.एच.एस./2024 दिनांक 08/05/2024 के Note (3) अनुसार 'The Internal assessment marks and attendance till that date must be uploaded to college website so that it is available to both students and their parents' के तहत चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव की वेबसाईट www.abvmgmcrajnandgaon.ac.in का नियमित अवलोकन करने हेतु मेरे माता/पिता/अभिभावक को मेरे Internal assessment marks and attendance की जानकारी लेने हेतु सूचित करूंगा साथ ही समय–समय पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अवलोकन कर उसका पालन करूंगा।

माता/पिता/ अभिभावक का फोटो	अभ्यर्थी का फोटो	हस्ताक्षर अभ्यर्थी

नाम–
रोल नंबर–
पता–